27/7/2017 पंचायतनामा किया गया। गैर संक्रमण की ओर से अभिलेख
नाम उप खण्ड। पंचायतनामा का अवलोकन किया से मौके
की स्थिति इस प्रकार है कि परवादी हल्का पेडास
के मौजा लाडवा के ख०नं० 585 612 रकबा 0.150 हे०
किस्म भूमि रास्ता पर सम्वत 2014 में नंदराम व लेख तुलसीराम
पुत्र बख्तराम जाति जाट निवासी लाडवा के बिना मार्ग
कोई एवं पंचायत आदेश एवं परमिट लिये बलदेव
राजकीय भूमि गै० मु० रास्ता पर नाजायज कब्जा करके
के सम्बन्ध में अतिक्रमण करने की शि-की रिपोर्ट पेश हुई
जिस पर इस न्यायालय ने पंजाबलैंड रेवेन्यू एक्ट सन
1956 की धारा 91 के अन्तर्गत राजस्व प्रकरण दर्ज कर गैर
सरकारी के विरुद्ध LRA of 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत
नोटिस जारी किया गया गैर सरकारी की ओर से नंदराम
अभिलेख पुत्र बख्तराम जाति जाट निवासी लाडवा उपस्थित
एवं सुना गया। गैर सरकारी को मौजा लाडवा के ख०नं०
585 612 रकबा 0.150 हे० किस्म भूमि रास्ते पर नाजायज
अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी घोषित किया जाकर
राजकीय भूमि गै० मु० रास्ते पर किये गये अतिक्रमण से
मौखिक रूप से बेदखल करने एवं शासन के प्रचलित
मापदण्ड अनुसार जुर्माना राशि 4/- रु० (चार रुपये) मात्र
आरोपित किये जाते हैं। परवादी हल्का पेडास को मौखिक
बेदखली एवं आरोपित जुर्माना राशि की वसूली हेतु लिखा
जाकर पंचायतनामा योग्य कार्यवाही हेतु ई०ओ०टी०-II को
को भेजी जाकर पंचायतनामा फैसल होकर नकल
के क्रम में निर्णय अग्रिम दि० 27/7/2017 को सुने
जाने हेतु सूचीबद्ध किया।

तहसीलदार, रियां बड़ी
(चांदौर - नागौर)